JALAUN POLICE

दिनांक – 01.11.2026

कोतवाली कालपी पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम पर फायरिंग करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध असलहा जिन्दा/खोखा कारतूस, बरामद, घटना में प्रयुक्त कार इत्यादि बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 31.10.2026 को जनपद जालौन के थाना कालपी क्षेत्र अंतर्गत कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार को किसी व्यक्ति द्वारा केस के सिलसिले में बातचीत करने और चाय पीने के बहाने गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया गया था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के पश्चात सायं लगभग 06:00 बजे पुलिस को घटना की सूचना दी गयी थी तथा वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली कालपी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हुआ और पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, तीन क्षेत्राधिकारी तथा आठ थानों की पुलिस टीमों ने रात भर सघन अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने घटना में संलिप्त तीन अभियुक्तों—सर्वेश, आशीष एवं केशव को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर सचेंडी के पास से मृतक गयादीन अहिरवार का शव व आलाकत्ल बरामद किया गया।

घटना की जांच के दौरान यह मुख्य तथ्य सामने आया कि थाना कदौरा क्षेत्र स्थित एक जमीन को लेकर गयादीन अहिरवार और कानपुर निवासी इन्द्रजीत यादव के मध्य मुकदमेबाजी चल रही थी। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता इन्द्रजीत यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके व्हाट्सएप से घटना के पहले तथा बाद के डिजिटल साक्ष्य एवं चैट्स बरामद हुए हैं। पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि इन्द्रजीत यादव ने पैसे देकर मोनू यादव और उसके तीन साथियों के माध्यम से इस वारदात को अंजाम दिलवाया था। घटना को अंजाम देने वाला मुख्य अभियुक्त मोनू यादव अभी वांछित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण (सर्वेश, आशीष एवं केशव) द्वारा बताया गया है कि घटना में प्रयुक्त गाडी को हम लोगों ने थाना कालपी क्षेत्र के जंगल में छुपा दी गयी है। जिसके संबन्ध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालपी एवं एसओजी व सर्वेलांश टीम द्वारा मौके पर अभियुक्तगणों को साथ लेकर गाडी बरामद करने हेतु रवाना किया गया था।

अभियुक्तगण द्वारा जोल्हूपुर से मदारीपुर के मध्य अन्ना फार्म हाऊस के रास्ते पर पहुँचकर बताया की गाडी यहीं पर खडी है तत्पश्चात अंधेरे व झाडियों का फायदा उठाते हुये पहले से झाडियों में छुपाये हुए असलहा से अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। जिसमे पुलिस टीम बाल-बाल बची तथा आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी एवं नियंत्रित फ़ायरिंग की गई। जिसमें अभियुक्तगण सर्वेश शुक्ला व आशीष विश्वकर्मा पैर में गोली लगने से घायल हुये तथा तीसरे अभियुक्त केशव को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

घायल अभियुक्तगण को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में कोतवाली कालपी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- सर्वेश शुक्ला उर्फ सब्बू पुत्र आशीष कुमार शुक्ला निवासी H-180 विश्व बैंक कॉलोनी बर्रा 8 थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर उम्र 27 साल (घायल)

2- आशीष विश्वकर्मा पुत्र रविशंकर विश्वकर्मा निवासी मकान नंबर 36 न्यू डायमंड सिटी पिपोरी थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर उम्र-27 साल (घायल)

3-केशव कटियार पुत्र नीरज कटिहार निवासी ईडब्ल्यूएस 1290 वरुण विहार कॉलोनी बर्रा 8 थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर उम्र 26 साल

अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी आस-पास के जनपदों/थानो से की जा रही है।

बरामदगी विवरण-

1. 01अदद स्विफ्ट डिजायर कार
2. 01 अदद पाना रक्त रंजित एवं 01 अदद जैक
3. 02 अदद तमंचा 315 बोर, 05 अदद जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस।